न्यायालयः– अपर सत्र न्यायाधीश, पंचम, दानापुर

नियमित जमानत आवेदन संख्या–427 / 2026

1. सुरेन्द्र यादव उर्फ बबलू यादव पिता ललन यादव,
2. सुनील यादव उर्फ सुनील कुमार पिता रामानंद यादव
साकिन–जमुई, थाना–दुल्हिन बाजार,जिला–पटना।

––––– अभियुक्तगण।

आवेदक की ओर से– श्री मनीष किशोर, अधिवक्ता।
अभियोजन की ओर से –श्री रामकेश्वर प्रसाद, लोक अभियोजक।

आदेश

18.04.2026 दुल्हिन बाजार थाना कांड संख्या–184 / 2025 धारा–126(2),115(2),118(1),109,303(2),351(2),352,3(5)बी.एन.एस. से संबंधित है, के याची अभियुक्त की ओर से यह नियमित जमानत आवेदन दाखिल किया गया है।

इस जमानत आवेदन पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि इस जमानत के पूर्व ना ही सत्र न्यायालय और ना ही माननीय उच्च न्यायालय में जमानत आवेदन दाखिल किया गया है। आवेदक / अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक निर्दोष है, इसने कोई अपराध नहीं किया है। अभियुक्त दिनांक–27.03.2026 से काराधीन है। अभियुक्त को नियमित जमानत पर छोड़ने की प्रार्थना करते हैं।

विद्वान अपर लोक अभियोजक नियमित जमानत आवेदन का विरोध करते हैं।

संक्षेप में सूचक का कथन है कि दिनांक–30.07.2025 को समय करीब 4.00 बजे संध्या में मैं अपने लड़का उपेन्द्र कुमार, जितेन्द्र कुमार एवं पत्नी पार्वती देवी के साथ अपने घर के दरबाजे पर बैठे थे, तभी पूर्व से जमीन संबंधित विवाद को लेकर मेरे ही गांव के पड़ोसी पवन कुमार,विक्की कुमार, सुरेन्द्र यादव उर्फ बबलू यादव, कुणाल यादव एवं सुनील कुमार है। ये सभी अपने–अपने हाथ में धारदार हथियार लोहे का रड एवं खंती लेकर गाली देते हुये दरबाजे पर आ गया। हमलोग गाली देने से मना किये, इतने में सभी लोग मेरे लड़का और पत्नी को मारकर घायल कर दिया, जिससे दोनों बेहोश हो गये। मारपीट के क्रम में पवन कुमार मेरे पत्नी के कान का बाली एवं गला से चेन जो सोने का था, ले लिया। हल्ला सुनकर जब आसपास के लोग आये तो सभी लोग धमकी देते हुये भाग गये। ग्रामीणों की मदद से दल्हिन बाजार अस्पताल जख्मी को लाये, जहॉ से एम्स, पटना रेफर कर दिया गया, जहॉ ईलाज चल रहा है। उचित कार्रवाई की जाए।

सुना। मूल अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि उभय पक्षों में जमीन संबंधी विवाद है। सह अभियुक्त को

नियमित जमानत पूर्व में दिया गया है। आवेदक दिनांक–27.03.2026 से काराधीन है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में काराधीन अभियुक्त को इस शर्त पर जमानत देना न्यायोचित प्रतीत होता है कि आरोप गठन पश्चात् बंधपत्र दाखिल करेंगे, इसतरह का अपराध भविष्य में नहीं करने का अंडरटेकिंग दाखिल करेंगे, एक जमानतदार उनके निकट संबंधी होने पर मो0 10,000/–रू0 के दो प्रतिभू के बंधपत्र दाखिल करने पर नियमित जमानत पर छोड़े जाने का आदेश दिया जाता है। कार्यालय आदेश की प्रति विद्वान अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित करें।

लेखापित,

Sd/-

अ0स0न्याया0,पंचम,दानापुर।